2005:CGHC:1191

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रिट याचिका क्रमांक – 2532 / 2005

याचिकाकर्ता –

मोहम्मद कय्यूम खान,

पिता – मोहम्मद यूनुस खान, आयु लगभग 45 वर्ष,

निवासी – इमलीपारा, अंबिकापुर (छ.ग.)

बनाम

प्रतिवादीगण –

(i) **क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)**

(ii) **कृष्ण कुमार बैरागी, पिता – बी. आर. बैरागी, निवासी – चांपा, जशपुर (छ.ग.)**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका।

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में

रिट याचिका संख्या 2532/2005

मोहम्मद कय्यूम खान

बनाम

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं अन्य

आदेश हेतु प्रस्तुत: 5 अगस्त, 2005

हस्ताक्षरित —

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 2532 सन 2005

मोहम्मद कयूम खान
बनाम
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं अन्य

उपस्थित: –

श्री बी. के. रावत, अधिवक्ता	:	याचिकाकर्ता की ओर से।
श्री संदीप दुबे, शासकीय अधिवक्ता	:	उत्तरवादीक्रमांक 1 की ओर से
श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता	:	उत्तरवादीक्रमांक 2 की ओर से

आदेश

(पारित दिनांक 5 अगस्त, 2005)

एल. सी. भादू, न्यायाधीश

1. याचिकाकर्ता, जो अंबिकापुर से संख वाया बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, लुडेग, कंसबैल, कुनकुरी, जशपुरनगर, गोहलिंग और वापस मार्ग पर दो नियमित मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्रों का धारक है, उत्तरवादीक्रमांक 1–क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा उत्तरवादीक्रमांक 2 को अंबिकापुर से संख मार्ग पर जून, 2005 के महीने के लिए अस्थायी स्टेज गाड़ी अनुज्ञापत्र के प्रदान किये जाने से व्यथित होकर यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।
2. इस रिट याचिका को दाखिल करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि यहां उत्तरवादीक्रमांक 2 ने विवाह के मौसम के अलावा कबीर जयंती, राणा प्रताप जयंती और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के कारण भारी यातायात के आधार पर अंबिकापुर से संख मार्ग पर अस्थायी स्टेज गाड़ी अनुज्ञापत्र के प्रदान पाने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता की उक्त अस्थायी अनुज्ञापत्र के मंजूरी को चुनौती यह है कि उक्त अस्थायी अनुज्ञापत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 (इसके पश्चात् जिसे '1988 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 68 (3) (सीए) के तहत राज्य सरकार द्वारा मार्ग तैयार किये बिना प्रदान किया गया है और अस्थायी अनुज्ञापत्र के मंजूरी के लिए आवेदन एस.टी.ए., बिलासपुर में दाखिल किया गया है, जबकि ऐसा कोई प्राधिकरण कार्यरत नहीं है। उत्तरवादीक्रमांक 1 ने आदेश दिनांक 3.6.2005 के द्वारा उत्तरवादीक्रमांक 2 को 5.6.2005 से 30.6.2005 की अवधि के लिए अस्थायी स्टेज गाड़ी अनुज्ञापत्र प्रदान किया और, उक्त अस्थायी अनुज्ञापत्र में अंबिकापुर से प्रस्थान का समय 22.30 बजे प्रदान किया गया है, जो अनुज्ञापत्र क्रमांक 2118/बी/05 के तहत याचिकाकर्ता की नियमित सेवा के ठीक 25 मिनट बाद है और संख के लिए आगमन का समय 16.00 बजे प्रदान किया गया है, जो याचिकाकर्ता की सेवा के आगमन समय से ठीक 35 मिनट पहले है। इसी तरह, याचिकाकर्ता का वापसी का समय सुबह 6.00 बजे है, जबकि उत्तरवादीक्रमांक 2 का वापसी का समय सुबह 5.30 बजे है, जो याचिकाकर्ता की नियमित सेवा से 30 मिनट पहले है, अनुज्ञापत्र का प्रमुख भाग सामान है और अस्थायी अनुज्ञापत्र को समय का अनुदान लोकहित में नहीं है।
3. उत्तरवादीक्रमांक 1 की ओर से जवाब दाखिल किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह कहना गलत है कि उत्तरवादीक्रमांक 2 को धारा 68 (3) (सीए) के तहत मार्ग के तैयार किये बिना अस्थायी स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है, क्योंकि अंबिकापुर से संख तक का मार्ग राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरकार द्वारा दिनांक 14.6.2004 को संलग्नक आर 1–1 के द्वारा क्रमांक 444 पर पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। यह भी उल्लेख किया गया है कि बगीचा और नारायणपुर की आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि कुल 212 किमी मार्ग में से, 94 किमी मार्ग दोनों अनुज्ञापत्रों यानी नियमित और अस्थायी अनुज्ञापत्रों में समान है और उत्तरवादीक्रमांक 2 के पक्ष में प्रदान किया गया अस्थायी अनुज्ञापत्र याचिकाकर्ता के अनुज्ञापत्र के मार्ग से 32 किमी कम है।

4. उत्तरवादीक्रमांक 2 की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है।

5. यद्यपि वह अवधि जिसके लिए उत्तरवादीक्रमांक 2 को अस्थायी स्टेज गाड़ी अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था, पहले ही समाप्त हो चुकी है, किंतु याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मार्ग निर्धारित किये बिना अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, इसलिए, याचिका को गुणागुण पर निर्णय के लिए लंबित रखा गया।

6. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बी. के. रावत, उत्तरवादीक्रमांक 1/राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप दुबे, एवं उत्तरवादीक्रमांक 2 के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव को सुना गया ।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रावत ने निवेदन किया कि अधिनियम 1988 की धारा 87 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किए बिना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की मनमर्जी से अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मार्ग के बनाए जाने के बिना अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जा सकते है । अधिनियम 1988 की धारा 87 की उप–धारा (1) के खंड (ग) की गलत व्याख्या करके हमेशा एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा रहा है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि उत्तरवादीक्रमांक 2 को मार्ग तैयार किये बिना अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था। संलग्नक आर 1–1 से यह स्पष्ट है कि दिनांक 14.6.2004 को राज्य सरकार पहले ही मार्ग बना चुकी थी, जो क्रमांक 444 पर है। उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उक्त अनुज्ञापत्र उत्तरवादीक्रमांक 2 को लोकहित में प्रदान किया गया था।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात्, मैंने अभिलेख का परिशीलन किया है। इस संबंध में अधिनियम 1988 की धारा 87 के तहत अस्थायी अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिए प्रावधान किये' गए है, जिसमे निन्मलिखित का उल्लेख है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किए बिना, एक सीमित अवधि के लिए, जो किसी भी मामले में चार महीने से अधिक नहीं होगी, प्रभावी होने वाले अनुज्ञापत्र, किसी परिवहन यान का अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु, प्रदान कर सकेंगे–

1. मेलों और धार्मिक समारोहों जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों के आने–जाने के वहन के लिए, या
2. किसी मौसमी कारोबार के प्रयोजन के लिए, या
3. किसी विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या
4. किसी अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लंबित रहने तक, और ऐसे किसी भी अनुज्ञापत्र के साथ ऐसी शर्त संलग्न कर सकेंगे जैसा वह उचित समझे:"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त धारा की उप–धारा (2) में आगे यह परिकल्पित है कि:

"उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसके तहत किसी भी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है जहां–

(i) किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कारण, जो उसकी जारी करने पर रोक लगाता है, उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के तहत कोई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जा सका, उस अवधि से अनधिक अवधि के लिए जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी करने पर इस तरह रोक लगाई गई है; या

(ii) किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में किसी यान के अनुज्ञापत्र के निलंबन के परिणामस्वरूप, उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में उसी वर्ग का कोई परिवहन यान वैध अनुज्ञापत्र के साथ नहीं है, या उस मार्ग या क्षेत्र के संबंध में ऐसे यानों की पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे निलंबन की अवधि से अनधिक अवधि के लिए:

परन्तु यह कि उन परिवहन यानों की संख्या जिनके संबंध में अस्थायी अनुज्ञापत्र इस प्रकार प्रदान किए जाते हैं, उन यानों की संख्या से अधिक नहीं होगी जिनके संबंध में अनुज्ञापत्र जारी करने पर रोक लगाई गई है या, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया है।

10. अत:, अधिनियम 1988 की धारा 87 की उप–धारा (1) के उपबंध में चार ऐसी आकस्मिकताओं को उललेखित किया गया हैं जिनके तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या राज्य परिवहन प्राधिकरण को 1988 के अधिनियम की धारा 80 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना चार महीने से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उप–धारा (2) उन परिस्थितियों को उल्लेख किया गया जिनके तहत अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किए जा सकते हैं, अर्थात् जहां किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कारण धारा 72 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 79 के तहत अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जा सकता और यह भी कि जहां किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी ने किसी परिवहनकर्ता का अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया हो।

11. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या अधिनियम 1988 की धारा 68 (3) (सीए) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये मार्ग पर एक अस्थायी टेम्पो अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में, अधिनियम की धारा 2 (31) के तहत 'अनुज्ञापत्र' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है:

> 'इस अधिनियम के तहत इस निमित्त विहित किसी राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक अनुज्ञापत्र जो किसी मोटर यान को परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।'

धारा 68 (3) (सीए) के तहत सरकार को स्टेज गाड़ियों के चलाने के लिए मार्ग बनाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। धारा 7 (1) स्टेज गाड़ी के संबंध में या आरक्षित स्टेज गाड़ी के रूप में एक अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन दाखिल करने का विधान करती है। स्टेज गाड़ी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पर विचार करने के संबंध में प्रक्रिया धारा 71 के तहत अधिकथित की गई है, जिसमें यह परिकल्पित है कि:

> "एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एक स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन पर विचार करते समय, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एक स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र प्रदान करने से इंकार कर देगा यदि प्रस्तुत की गई किसी भी समय–सारणी से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह प्रतीत होता है कि यानों को जिस गति से चलाये जा सकते है, उससे संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने की संभावना है;

परन्तु यह कि ऐसे इंकार से पहले आवेदक को समय–सारणी में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा ताकि वह उक्त उपबंधों के अनुरूप हो सके।"

धारा 72 में यह परिकल्पित है कि:

"धारा 71 के उपबंधों के अध्यधीन, एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, धारा 70 के तहत उसे किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ जैसा वह उचित समझे, एक स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकता है या ऐसा अनुज्ञापत्र प्रदान करने से इंकार कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अनुज्ञापत्र किसी ऐसे मार्ग या क्षेत्र के संबंध में प्रदान नहीं किया जाएगा जो आवेदन में निर्दिष्ट नहीं है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 73 और 74 अनुबंध कैरिज अनुज्ञापत्र के अनुदान से संबंधित हैं। धारा 80 अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन करने और उन्हें प्रदान करने में प्रक्रिया को अधिकथित करती है। धारा 80 की उप–धारा (2) यह उपबंध करती है कि "एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई विहित प्राधिकरण) इस अधिनियम के तहत किसी भी समय किए गए किसी भी प्रकार के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन को प्रदान करने से सामान्यतः इंकार नहीं करेगा।" धारा 87 अस्थायी अनुज्ञापत्रों के लिए उपबंध करती है जिसमें यह उपबंधित किया गया है कि एक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 के तहत अधिकथित प्रक्रिया का पालन किए बिना, एक सीमित अवधि के लिए, जो किसी भी मामले में चार महीने से अधिक नहीं होगी, प्रभावी होने वाले अनुज्ञापत्र, किसी परिवहन यान का अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए खंड (क) से (घ) के तहत प्रदान की गई शर्तों पर प्राधिकृत करने हेतु, प्रदान कर सकेंगे। उप–धारा (2) उन शर्तों का आगे उपबंध करती है जिनके तहत एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है। अत:, उपरोक्त उपबंधों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विधानमंडल ने अस्थायी अनुज्ञापत्र और नियमित अनुज्ञापत्र के बीच कोई अंतर नहीं किया है, दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि एक नियमित अनुज्ञापत्र पांच

साल तक की अवधि के लिए प्रदान किया जाना है, जबकि, एक अस्थायी अनुज्ञापत्र चार महीने की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 87 के तहत प्रदान की गई आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि धारा 87 उन आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए अधिनियमित की गई है जहां किसी भी कारण से नियमित अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है। तथापि, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण से यह अपेक्षित है कि वे 1988 के अधिनियम की धारा 87 के तहत उललेखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करें। अस्थायी अनुज्ञापत्र धारा 80 के तहत अधिकथित प्रक्रिया का पालन किए बिना भी प्रदान किया जा सकता है और विधानमंडल ने जानबूझकर यह शामिल नहीं किया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 68 (3) (सीए) के उपबंधों को समाप्त करते हुए अस्थायी परमिट प्रदान कर सकते है , अर्थात् सरकार स्टेज कैरिज चलाने के लिए मार्ग तैयार करेगी । इसलिए उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए जन आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए धारा 87 के उपबंधों ने अस्थायी अनुज्ञापत्र के अनुदान का प्रावधान किया है, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण वहां एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर सकते जहां धारा 68 (3) (सीए) के तहत मार्ग तैयार नहीं किया गया है, तथापि अन्य स्थितियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र प्रदान करने का हकदार है। किंतु, वर्तमान मामले में अस्थायी अनुज्ञापत्र एक ऐसे मार्ग पर प्रदान किया गया था, जो राज्य सरकार द्वारा पहले ही बनाया जा चुका था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. अब इस प्रश्न पर आते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण उपबंधों का दुरुपयोग करके दंडमुक्ति के साथ अधिनियम 1988 की धारा 87 के उपबंधों का पालन किए बिना उस मार्ग पर अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान कर रहा है जहां नियमित अनुज्ञापत्र पहले से ही हैं और नियमित बसें चल रही हैं और इस प्रकार नियमित अनुज्ञापत्र धारकों को हानि पहुंचा रहा है।

13. इस स्थिति में, यह कहा जा सकता है कि विधानमंडल ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण को 1988 के अधिनियम की धारा 87 के उपबंधों के अनुसार अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने की शक्ति सौंपी है और इसलिए, इन प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे धारा 87 के उपबंधों के

अनुसार कार्य करें और उन्हें केवल 1988 के अधिनियम की धारा 87 के तहत उललेखित अस्थायी आवश्यकता और आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए ही अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने चाहिए, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स बसंत रोडवेज बनाम राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण और अन्य, एआईआर 1987 सुप्रीम कोर्ट 116 में रिपोर्ट किए गए मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि:

> "हम, तथापि, लोकहित में प्रश्नगत मार्गों पर नियमित सेवाओं की संख्या बढ़ाने की गंभीर आवश्यकता होने पर भी, कम अवधि के लिए स्टेज कैरिज चलाने हेतु बार–बार अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने की प्रथा की निंदा करते हैं। कई मामलों में इस प्रथा के अवांछनीय परिणाम हुए हैं। ऐसे सभी मामलों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली उचित कार्रवाई, या तो अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करके या मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 57(2) के तहत इच्छुक ऑपरेटरों द्वारा स्वप्रेरणा से किए गए आवेदनों पर, विधि के अनुसार नियमित अनुज्ञापत्र प्रदान करना है। हम आशा करते हैं कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यात्रा करने वाली जनता की पीड़ा को कम करने के लिए सभी मार्गों के संबंध में विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठाएंगे।"

14. अत:, जहां राज्य परिवहन प्राधिकरण या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को यह लगता है कि मौजूदा अनुज्ञापत्र आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वे आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिनियम 1988 के उपबंधों के अनुसार कदम उठा सकते हैं, तथापि, उन्हें अस्थायी अनुज्ञापत्रों को नियमित अनुज्ञापत्र बनाने वाले ढंग से बार–बार अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने से बचना चाहिए और साथ ही उन्हें इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि जहां आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले से ही पर्याप्त संख्या में अनुज्ञापत्र हैं और यान चल रहे हैं, तो उन्हें अधिनियम 1988 की धारा 67 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के उपबंध के विरुद्ध अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं करने चाहिए, जिसमें यह उल्लेखित है कि 'अनुज्ञापत्र धारकों के बीच अलाभप्रद प्रतिस्पर्धा को रोकने की वांछनीयता।' इसलिए, अलाभप्रद प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए और फिर भी, यदि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण 1988 के अधिनियम की धारा 87 के उपबंधों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के विपरीत अनुज्ञापत्र प्रदान कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण की कार्रवाई से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकता है। नए अधिनियम के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत धारा 47 और 57 के उपबंधों में संशोधन किया गया था और अब 1988 के अधिनियम की धारा 80 के उपबंधों के तहत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण को उदारतापूर्वक अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उक्त उपबंध आम जनता की समस्याओं को दूर करने, परिवहन व्यवसाय को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और आम जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है और जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिथिलेश गर्ग आदि आदि बनाम भारत संघ और अन्य आदि आदि, एआईआर 1992 सुप्रीम कोर्ट 443 में रिपोर्ट किए गए मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय सर्वोपरि विचार आम जनता की सुविधा है और अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय उसे ही सर्वोपरि विचार माना जाना चाहिए। यहां तक कि अधिनियम 1988 की धारा 87 के तहत भी अधिनियम की धारा 80 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना एक अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है और इस संबंध में, कोई सख्त और निश्चित दिशा–निर्देश जारी नहीं किए जा सकते, यदि कोई व्यक्ति धारा 87 के तहत अस्थायी अनुज्ञापत्र के अनुदान से इस आधार पर व्यथित है कि अनुज्ञापत्र धारा 87 की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना प्रदान किया गया है, तो वह उक्त अनुज्ञापत्र के अनुदान को चुनौती दे सकता है और तभी और केवल तभी उसकी गुणागुण पर जांच की जा सकती है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्य अर्ध–न्यायिक हैं, इसलिए, अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण से यह अपेक्षित है कि वे अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने के कारणों को बताते हुए एक आदेश पारित करें, जिसके बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने जमीनी स्थिति पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 87 के उपबंधों पर भी विचार करके अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि मार्ग पहले ही तैयार किया जा चुका है और उसके तहत उत्तरवादीक्रमांक 2 को एक महीने की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था, जो पहले ही समाप्त हो चुकी है।

16. परिणामतः, याचिका निम्नलिखित टिप्पपर्नियो/ निर्देशों के साथ निपटाई जाती है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण / राज्य परिवहन प्राधिकरण:

  1. 1988 के अधिनियम 1988 की धारा 87 के तहत अस्थायी अनुज्ञापत्र केवल तभी प्रदान कर सकते हैं जब धारा 87 की आवश्यकताएं पूरी होती हों।

2. अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण को 1988 के अधिनियम की धारा 87 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करने के कारण बताने होंगे।
3. अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/राज्य परिवहन प्राधिकरण को **मेसर्स बसंत रोडवेज** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पपर्नियो को ध्यान में रखना होगा और वे बार–बार अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर सकते या अस्थायी अनुज्ञापत्र को चार महीने से आगे नहीं बढ़ा सकते है ।
4. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण केवल 1988 के अधिनियम 1988 की धारा 68(3)(सीए) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गए मार्ग पर ही अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता॰/–
एल॰सी॰ भादू
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate